रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2013/चैत्र 7, 1935
No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2013/CHAITRA 7, 1935

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2012

मद सं. 221/2012

आवेदनों का अन्तरण जिनमें एक राज्य विधिज्ञ परिषद् से दूसरे राज्य विधिज्ञ परिषद् में उनके नामों को अंतरित करने के लिए अनुरोध किया गया है

संकल्प सं0 114/2012

परिषद् ने अधिवक्ताओं से, एक राज्य की विधिज्ञ परिषद् से दूसरे राज्य की विधिज्ञ परिषद् में उनके नामों का अन्तरण करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् को किए गए अन्तरण आवेदनों के संबंध में विषय पर विचार किया । सर्वसम्मति से यह संकल्प किया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता अपने अभ्यावेशन के 5 वर्ष की अवधि के भीतर अपने नाम को एक राज्य की विधिज्ञ परिषद् से दूसरे राज्य की विधिज्ञ परिषद् में अपने नाम के अंतरण के लिए अनुरोध करता है तो भारतीय विधिज्ञ परिषद् का कार्यालय संबद्ध वकील को यह निदेश देगा कि वह अपने सभी ब्यौरे, प्रमाणपत्र और दस्तावेज प्रस्तुत करे और उसका नाम दस्तावेजों तथा उसके अभ्यावेशन के लिए उसके दावे की वास्तविक्ता के सत्यापन के पश्चात ही अन्तरित किया जाएगा ।

यह और संकल्प किया जाता है कि ऐसे अधिवक्ताओं से जो अपने नामों के अन्तरण की वांछा करते हैं, 2000 रूपए की राशि प्रभारित की जाए क्योंकि दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य औपचारिक्ताओं में भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उपगत किए जाने वाले बहुत से व्ययों की आवश्यकता होती है । नए प्रभार 1 जनवरी, 2013 से प्रभावी होंगे ।

परिषद् यह भी संकल्प करती है कि अंतरण आवेदनों पर विचार करने के लिए 3-सदस्यीय समिति का गठन किया जाए और कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के साथ सभी अन्तरण आवेदनों को प्रस्तुत करे । समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगीः-

1. श्री फैजल रिजवी - अध्यक्ष
2. श्री वी.एस. राठौर - सदस्य
3. श्री आई.एन. मेहता - सदस्य

और माननीय उपाध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, इस समिति के विशेष आमंत्री होंगे ।

जे. आर. शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/96/12]

BAR COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th December, 2012
ITEM NO. 221/2012
Transfer applications with a request to transfer their names from one State Bar Council to the Another

RESOLUTION NO. 114/2012

The Council considered the matter with regard to the transfer applications made to the Bar Council of India from the Advocates to transfer of their names from one State Bar Council to other. It is unanimously resolved that in case any Advocate makes a request for transfer of his name from one State Bar Council to another within a period of 5 years of his enrolment, the office of the Bar Council of India shall direct the concerned Lawyer to furnish all his details and certificates and documents and his name shall be transferred only after the verification of the documents and the bona fide of his claim for enrolment.

It is further resolved to charge a sum of Rs. 2000 from the Advocates seeking transfer of their names as process fee as the verification of documents and other formalities requires a lot of expenses to be incurred by the Bar Council of India. The new charge shall be effective from 1st January, 2013.

The Council also resolves to constitute a 3-Member Committee to deal with the transfer applications and the office is directed to place all the transfer applications along with report of 3-Member Committee. The Committee will constitute the following Members:—

1. Shri Faisal Rizvi – Chairman
2. Shri B.S. Rathore – Member
3. Shri I.N. Mehta – Member

And the Hon'ble Vice-Chairmen, the Bar Council of India will be the special invitee of this Committee.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./96/12]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2013

फा. *सं0 बी.सी.आई./डी.783/2013*- (परिषद्, *बैठक एस.टी.बी.सी., सी.आई.आर. सं. 3/13)*

परिषद् के महासदन ने 2 फरवरी, 2013 को मद सं0 17/2013 के अधीन आयोजित अपनी बैठक में, भारतीय विधिज्ञ परिषद की नामांकन फीस और डी.सी. मामलों/पुनरीक्षण मामलों आदि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संकल्प पारित किया है, जिसे नीचे दर्शाया गया है :—

संकल्प सं0 11/2013

परिषद, तारीख 04.02.2013 से नियमों के अधीन उदग्रहणीय फीस निम्नानुसार उपांतरित करने का संकल्प करती है :-

क्र0 सं0	***निम्नलिखित के लिए फीस***	**उपांतरित फीस (रूपयों में)**
1.	*राज्य परिषद के एक या सभी सदस्यों का निर्वाचन आक्षेपित करने वाली याचिका*	25000/- प्रति याचिका
2.	*अधिनियम की धारा 35 के अधीन वृत्तिक अवचार की शिकायतः परन्तु यह कि किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य कानूनी निकाय द्वारा या जहां किसी समुचित मामले में विधिज्ञ परिषद् छूट प्रदान करे, किसी शिकायत पर कोई फीस संदेय नहीं होगी*	1000/-
3.	*जब तक अनुशासनिक समिति छूट प्रदान न करे, शिकायतकर्ता उपखंड (ख) में वर्णित फीस के अतिरिक्त प्रक्रिया सेवा की लागत का संदाय करने का दायी होगा*	750/-
4.	*नामांकन की तारीख और नामावली पर अधिवक्ता का नाम बने रहने के संबंध में प्रमाणपत्र*	250/-
5.	*अधिनियम की धारा 18 के अधीन अंतरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र*	500/-
6.	*अनुशासनिक मामलों के संबंध में शिकायतकर्ता या संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण*	250/-
7.	*अधिवक्ताओं की नामावली या मतदाता सूची का निरीक्षण*	250/-
8.	*किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् या अनुशासनिक समिति से भिन्न इसको किसी समिति के समक्ष किसी कार्यवाही में दिया गया कोई आवेदन पत्र*	500/-
9.	*अधिनियम की धारा 36 के अधीन निर्दिष्ट वृत्तिक अवचार की शिकायतः परन्तु यह कि किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य कानूनी निकाय द्वारा या जहां किसी समुचित मामले में परिषद् छूट प्रदान करे, किसी शिकायत या अपील पर, कोई फीस संदेय नहीं होगी*	2500/-

10.	*जब तक अनुशासन समिति छूट प्रदान न करे, शिकायतकर्ता उप-खंड (क) में वर्णित फीस के अतिरिक्त प्रक्रिया सेवा की लागत का संदाय करने का दायी होगा।*	500/-
11.	*अधिनियम की धारा 37 के अधीन फाइल की गई कोई अपील*	2500/-
12.	*अधिनियम के अधीन रोकादेश के लिए* परिषद् *को दिया गया कोई आवेदन पत्र*	1500/-
13.	*निरीक्षण के लिए कोई आवेदन पत्र*	500/-
14.	*अनुज्ञात किए जाने पर अंतिम रूप से विनिश्चित मामलों का निरीक्षण*	500/-
15.	*अधिनियम की धारा 36 के अधीन प्रत्याहरण के लिए कोई आवेदन पत्र*	2000/-
16.	*अधिनियम के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन पत्र*	2500/-
17.	*अधिनियम की धारा 48क (पुनरीक्षण) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन पत्र*	1000/-
18.	परिषद् *या अनुशासनिक समिति से भिन्न किसी समिति के समक्ष किसी कार्यवाही में दिया गया कोई आवेदन पत्र*	1000/-
19.	*किसी राज्य विधिज्ञ* परिषद् *या* परिषद् *या उसकी किसी समिति के समक्ष किसी प्रमाण-पत्र, अन्य कार्यवाहियों में आदेश, किसी नामावली में प्रविष्टि या किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज या अभिसाक्ष्य की अधिप्रमाणित प्रति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 250/- रू की फीस होगी और प्रतिलिपि प्रभार निम्नानुसार होगा:-* *फोलियो और अन्य प्रभारों के अतिरिक्त आदेश या अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक उदाहरणीकरण*	500/-
20.	*प्रतिलिपियों के लिए फोलियो प्रभार*	100/-
21.	*केविएट आवेदन पत्र के लिए फीस*	1000/-
22.	*प्रत्येक अंतवर्ती आवेदन पत्र, जिसमें विलंब माफी के लिए या किसी राज्य विधिज्ञ* परिषद् *की अनुशासनिक समिति और परिषद की अनुशासनिक समिति की कार्यवाहियों पर रोकादेश के लिए याचिका सम्मिलित है, के लिए फीस*	500/-
23.	*साक्षियों के अभिसाक्ष्य के अनुप्रमाणित प्रतियों के लिए फीस*	प्रत्येक पृष्ठ के लिए 10/-रू

अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय पुनः आरम्भ करने के लिए आवेदक को राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पक्ष में देय क्रमशः रू. 5000 और रू. 2000 की राशि अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संदाय करनी होगी ।

जे. आर., शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/96/12]

NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd February, 2013
F. No. BCI/D. 783/2013/Council meeting STBC, CIR No. 3/13

The General House of the Council at its meeting held on 2nd February, 2013 under Item No. 17/2013 has passed the following resolution in view of enhancement of enrolment fee and D.C. Cases/Revision cases etc. of the Bar Council of India, which is quoted below:—

Resolution No. 11 /2013

The Council resolves to modify the fee leviable under the Rules in the following manner, with effect from 4.2.2013:-

S.No.	***Fee for:-***	***Modified fee (in Rs.)***
1.	*Petition challenging the election of one or all Members of the State Council*	*25,000/- per petition*
2.	*Complaint of professional misconduct under Section 35 of the Act:* *Provided that no fee shall be payable on a complaint made by any court or tribunal or other statutory body or wherein a proper case the Bar Council grants exemption therefore*	*1000/-*
3.	*The complainant shall be liable to pay in addition to the fee in sub- clause (b) the cost of service of process unless the Disciplinary Committee grants exemption therefore*	*750/-*
4.	*Certificate as to the date of enrolment and the continuance of the name of the advocate on the roll*	*250/-*
5.	*Certificate required to be produced with the transfer application under Section 18 of the Act*	*500/-*
6.	*Inspection by complainant or the concerned Advocates, of documents relating to the disciplinary matters*	*250/-*
7.	*Inspection of the roll of the advocates or the voters list*	*250/-*
8.	*Any application made in any proceedings before a State Council or its Committee other than the Disciplinary Committee*	*500/-*
9.	*Complaint of professional misconduct referred under Section 36 of the Act:* *Provided that no fee shall be payable on a complaint or appeal made by any court or tribunal or other statutory body or where in a proper case the Council grants exemption therefore*	*2500/-*

10.	*The complainant shall be liable to pay in addition to the fee in sub-clause (a) the cost of service of process unless the Disciplinary Committee grants exemption thereof*	*500/-*
11.	*An appeal filed under Section 37 of the Act*	*2500/-*
12.	*An application for stay made to the Council under the Act*	*1500/-*
13.	*An application for inspection*	*500/-*
14.	*Inspection in cases finally decided when permitted*	*500/-*
15.	*An application for withdrawal under Section 36 of the Act*	*2000/-*
16.	*An application for Review under the Act*	*2500/-*
17.	*An application for the exercise of its power under Section 48A of the Act (Revision)*	*1000/-*
18.	*Any application made in any proceedings before the Council or a Committee other than the Disciplinary Committee*	*1000/-*
19.	*Every application for an authenticated copy of any certificate, order of other proceedings, entry on any roll, or any document or deposition in any proceeding, before a State Council or the Council or a Committee thereof shall be accompanied by a fee of Rs. 250/- and the copying charges as follows:-* *Every exemplification of the order or other documents in addition to the folio and other charges*	*500/-*
20.	*Copying charges for folio*	*100/-*
21.	*Fee for caveat application*	*1000/-*
22.	*Fee for every Interlocutory application, including a petition for excusing delay or for obtaining stay for proceedings of a Disciplinary Committee or a State Bar Council and the Disciplinary Committee of the Council*	*500/-*
23.	*Fee for unattested copies of depositions of witnesses*	*10/- for each page*

For resumption of practice as an Advocate, an applicant shall have to pay a sum of Rs. 5000/- in favour of the State Bar Council and Rs. 2000/- in favour of the Bar Council of India by way of separate Bank Drafts drawn in favour of the respective Bar Councils.

J. R. SHARMA, Secy.
[ADVT III/4/Exty./96/12]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

पृष्ठभूमि टिप्पण

विषयः- अधीनस्थ विधान समिति, राज्य सभा का तारीख 6 से 12 फरवरी 2013 तक उदयपूर, जोधपूर और जैसलमेर में आगमन तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 पर चर्चा ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (ड़) के अधीन केन्द्रीय आयोग में अन्तर्राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने का कृत्य निहित है । विद्युत अधिनियम, 2003 का भाग-4 आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने, संशोधन करने और प्रतिसंहरण से संबंधित है । अधिनियम की धारा 178 (2) (क) से (च) उपबंध करती है कि अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों सहित अनुज्ञप्ति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आयोग विनियम बना सकता है । अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों को उपयोग करते हुए आयोग के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 (पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम) अधिसुचित किए हैं । विनियम, 2 जून, 2009 की राजपत्र अधिसूचना की तारीख से प्रवृत हूए ।

2. पारेषण अनुज्ञप्ति विनियमों की मूख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(क) कोई व्यक्ति पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र है यदि उसे प्रतिस्पार्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है या वह तारीख 05.01.2011 को या उसके पूर्व राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाली परियोजना विकासकर्ता के रूप में पहचानी गई कंपनी है या ऐसी उत्पादन कंपनी है जिसका आशय अपनी समर्पित पारेषण लाइन को मूख्य पारेषण लाइन और अन्तराज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में उपयोग करना है ।

(ख) पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक द्वारा एक विहित प्ररुप में आयोग को आवेदन करना आपेक्षित है । आवेदक द्वारा आवेदन की प्रति प्रत्येक दीर्घ अवधि पारेषण ग्राहक को भेजना तथा इसकी प्रति अपनी वेब साइट पर उपलब्ध कराना भी आपेक्षित है । आवेदक से यह भी आपेक्षित है कि आवेदन के संबंध में एक सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी भाषा में तथा एक स्थानीय भाषा में जिनका उस राज्य या संघ राज्य- क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, जहाँ परियोजना का भाग या दीर्घ अवधि ग्राहक अवस्थित है । आवेदक द्वारा आवेदन की एक प्रति केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता पर तामील कराना भी आपेक्षित है ।

(ग) आयोग केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता से आवेदक द्वारा प्रकाशित कराई गई सार्वजनिक सूचना के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों और सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव कर सकेगा या लिखित में दिए गए कारणों के लिए ञ अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र रदद करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(घ) जब आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करे तो दो दैनिक समाचार पत्रों में, प्रस्ताव पर सूझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए एक सूचना प्रकाशित की जानी आपेक्षित है । प्राप्त सूझावों/आपत्तियों पर, यदि कोई हों, सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात और आवेदक को सूनने के पश्चात, आयोग आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में विनिश्चय कर सकेगा ।

(ड़) पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम, अनुज्ञप्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों के लिए भी उपबंध करते हैं जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना का निर्माण एक समयबद्ध, दक्ष, समन्वयित और किफायती रिति में करने के लिए केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के निदेशों का पालन करना, प्रवृत्त विधियों का पालन करना और विशेष रुप से विद्युत अधिनियम तथा ग्रिड संहिता का, विशेष रुप में निर्बाध पहुँच विनियमों के अनुसरण में किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पारेषण प्रणाली पर अविभेदकारी निर्बाध पहुँच के उपयोग के लिए उपबंध करना और आयोग के फीस के भुगतान विनियम के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करना, किया जाना आपेक्षित है ।

(च) अनुज्ञप्तिधारी कोई संविदा करने या अन्यथा विद्युत में व्यापार के कारबार में लगने से प्रतिषिद्ध है ।

(छ) पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखा रखे जाने, अनुज्ञप्ति संशोधन और प्रतिसंहरण के लिए एवं विवाद समाधान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत उपबंध भी करते हैं ।

3. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई भी पारेषण अनुज्ञप्ति 25 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है । यद्यपि पारेषण अनुज्ञपति की विधिमान्यता, पारेषण अनुज्ञप्ति विनियमों में 25 वर्ष रखी गई है, किन्तु 25 वर्षों से आगे भी अनुज्ञप्ति के नवीकरण का उपबंध है क्योंकि कन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार पारेषण लाइनों का उपयोगी जीवन 35 वर्ष नियत किया गया है । ऐसे मामलों में, पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम अधिनियम, की धारा 61 के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में अनुज्ञप्ति के नवीकृत निबंधनों के दौरान भुगतान के लिए पारेषण प्रभारों के अवधारण हेतु प्रक्रिया का भी उपबंध करते हैं ।

4. पारेषण अनुज्ञप्ति विनियमों के अधीन, उपाबंध् से संलग्न सूची के अनुसार 10 पारेषण अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की गई है ।

उपाबंध

क्र.सं./ अनुज्ञप्ति सं.	याचिका सं.	संगठन का नाम	आदेश किए जाने की तारीख	अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख
1.	116/2008	तीस्तावैली पॉवर ट्रांसमिशन लि. नई दिल्ली	14.5.2009	अनुज्ञप्ति, 14.5.2009 को जारी
2.	16/2009	नॉर्थ-ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लि. नई दिल्ली	16.6.2009	अनुज्ञप्ति, 16.6.2009 को जारी
3.	131/2010	नॉर्थ-ईस्ट इंटर कनेक्शन कंपनी लि.	28.10.2010	अनुज्ञप्ति, 28.10.2010 को जारी
4.	146/2010	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लि. नई दिल्ली	8.11.2010	अनुज्ञप्ति, 8.11.2010 को जारी
5.	31/2010	क्रॉस बोर्डर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लि. गुड़गाँव	1.12.2010	अनुज्ञप्ति, 1.12.2010 को जारी
6.	171/2010	नॉर्थ करणपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लि. नई दिल्ली	16.12.2010	अनुज्ञप्ति, 16.12.2010 को जारी
7.	105/2010	जिंदल पॉवर लिमिटेड, छत्तीसगढ़	9.5.2011	अनुज्ञप्ति, 9.5.2011 को जारी
8.	5/2010	रायचूर शोलापूर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	24.8.2011	अनुज्ञप्ति, 24.8.2011 को जारी
9.	107/2011	जबलपूर ट्रांसमिशन कंपनी लि. नई दिल्ली	12.10.2011	अनुज्ञप्ति, 12.10.2011 को जारी
10.	110/2011	भोपाल-धूले ट्रांसमिशन कंपनी लि. नई दिल्ली	12.10.2011	अनुज्ञप्ति, 12.10.2011 को जारी